न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 07 सन 2020
अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति गुसाई निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 3/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 178/186 की कुल 7.590हैक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम दर्ज करने के स्थान पर वादी के दादा का नाम दर्ज कर दिया जो सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड नाम संशोधन करवाकर रामकुमार पुत्र मामचन्द के स्थान पर रामकुमार पुत्र सुरजाराम संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में वादी का नाम सही तौर से दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 178/186 की कुल 7.590हैक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम दर्ज करने के स्थान पर वादी के दादा का नाम दर्ज कर दिया जो सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है

Scanned with CamScanner

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी राजस्व रिकार्ड नाम संशोधन करवाकर रामकुमार पुत्र मामचन्द के स्थान पर रामकुमार पुत्र सुरजाराम संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 178/186 की कुल 7.590हैव में सयुक्त तौर से 3/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रामकुमार पुत्र सुरजाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात बैयनामा के अनुसार वादी ने जरिये बैयनामा वाद भूमि खरीद की गई थी जिसमें प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र सुरजाराम पुत्र मामचन्द अंकित है जो सही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय वादी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज कर दिया अर्थात प्रार्थी के पिता के स्थान पर वादी के दादा का नाम दर्ज कर दिया जो संशोधन योग्य है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतोंएवं पेरोकार राज को ऐतराज पेश नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 178/186 की कुल 7.590हैक में सयुक्त तौर से 3/10 हिस्सा भूमि प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है के स्थान पर रामकुमार पुत्र सुरजाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/777 दिनांक :- 4/9/20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :— प्रकरण संख्या 07/2020 अनवानी रामकुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :— अनवान :—

1. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति गुसाई निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 07/2020 अनवानी रामकुमार बनाम सरकार में दिनांक 3/9/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 178/186 की कुल 7.590हैक में सयुक्त तौर से 3/10 हिस्सा भूमि प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र मामचन्द दर्ज है के स्थान पर रामकुमार पुत्र सुरजाराम संशोधन किया जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 475 सन 2020

अनवान :—

1. जयलाल सियर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
2. देवीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
4. प्रतापसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
6. रणजीतसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
7. सजना पत्नी रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
8. सिलोचना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
9. शान्ती पुत्री रामस्वरूप जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/09/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108 / 111 की कुल 12.6450हैव वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53 / 45 की कुल 3.1870हैव प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलु के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने रामस्वरूप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा कर लिया है उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे इकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक्ट वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53/45 की कुल 3.1870हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो वादी पिता है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलु के जायज व कानुनी वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया एवं पुत्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है।

वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो रामस्वरूप पुत्र मगलु के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 7 जो वादी की माता व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने रामस्वरूप की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका उन्होने बाहमी बटवारा कर लिया है उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी पप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नगरासरी के खाता संख्या 108/111 की कुल 12.6450हैक्ट वादी के पिता रामस्वरूप के नाम से दर्ज है एवं खाता संख्या 53/45 की कुल 3.1870हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बहिब दर्ज है

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि मृतक रामस्वरूप एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,4 के नाम से दर्ज है वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र मगलु का देहान्त हो चुका है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है तथा रामस्वरूप पुत्र मगलू के जायज वारिसन वादी एवं

अधिकारी
नोहर